[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना
सं. 45/2023 – केंद्रीय कर
नई दिल्ली, तारीख 06 सितम्बर, 2023

सा.का.नि.......(अ).- केंद्रीय सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवाकर (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) यह नियम उस तारीख को प्रवृत होंगे, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में, नियम 31क के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंतः स्थापित किये जायेंगे, अर्थात्: -

"**31ख. ऑनलाइन मनी गेमिंग सहित ऑनलाइन गेमिंग के मामले में आपूर्ति का मूल्य.—**
इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, ऑनलाइन गेमिंग की आपूर्ति का मूल्य, ऑनलाइन मनी गेमिंग में सम्मिलित कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति सहित, आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई या देय या जमा की गई कुल राशि होगी, जिसमें डिजिटल संपत्ति, खिलाड़ी द्वारा या उसकी ओर से वर्चुअल भी सम्मिलित है:

परन्तु किसी भी कारण से आपूर्तिकर्ता द्वारा खिलाड़ी को लौटाई गई या वापस की गई कोई भी राशि, जिसमें खिलाड़ी किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपूर्तिकर्ता के साथ भुगतान की गई या जमा की गई राशि का उपयोग नहीं कर रहा है, ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति के मूल्य से कटौती योग्य नहीं होगी।

31 ग. कैसीनो के मामले में कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति का मूल्य। – इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, कैसीनो में कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति का मूल्य खिलाड़ी द्वारा या उसकी ओर से भुगतान की गई या देय कुल राशि होगी –
(i) कैसीनो में उपयोग के लिए टोकन, चिप्स, सिक्के या टिकट, चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, की खरीद; या
(ii) कैसीनो में खेल, स्कीम, प्रतियोगिता या किसी अन्य क्रियाकलाप या प्रक्रिया सहित किसी भी कार्यक्रम में भाग लेना, ऐसे मामलों में जहां टोकन, चिप्स, सिक्के या टिकट, चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, की अपेक्षा नहीं है:

परन्तु कैसीनो द्वारा यथास्थिति खिलाड़ी को टोकन, सिक्के, चिप्स, या टिकट लौटाने पर, या अन्यथा लौटाई गई कोई भी राशि, कैसीनो में कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति के मूल्य से कटौती योग्य नहीं होगी।

स्पष्टीकरण.- नियम 31 ख और नियम 31 ग के प्रयोजन के लिए, खेल, स्कीम, प्रतियोगिता या किसी अन्य क्रियाकलाप या प्रक्रिया सहित किसी भी प्रतियोगिता को जीतकर खिलाड़ी द्वारा प्राप्त कोई भी राशि, जिसका उपयोग उक्त खिलाड़ी द्वारा आगे की घटना में खेलने के लिए किया जाता है बिना निकासी के, उक्त खिलाड़ी द्वारा या उसकी ओर से आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई या उसके पास जमा की गई राशि नहीं मानी जाएगी।

[फा.सं.-सीबीआईसी-20/2/2023-जीएसटी]

(राघवेंद्र पाल सिंह)
निदेशक

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यां 3/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017, सा.का.नि. संख्यांक 610 (अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. 38/2023-केंद्रीय कर, तारीख 4 अगस्त, 2023, सा.का.नि. 590(अ) तारीख 4 अगस्त, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।